उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट

14—अशोक मार्ग, शक्ति भवन (विस्तार),

लखनऊ — 226001

Email- cpftrust.2004@gmail.com Website- www.uppst.org

पत्र सं0: 245 / सी0पी0एफ0ट्रस्ट / ले0प0 दिनाँक: 24 / 03 / 2018

कार्यालय ज्ञाप

विषयः— अंशदायी भविष्य निधि लेखापर्ची ऑनलाइन करने के संबंध में।

अवगत कराना है कि उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट से आवरित CPF सदस्यों एवं सम्बन्धित कार्यालयों की सुविधा को ध्यान में रखकर ट्रस्ट द्वारा CPF लेखापर्ची निर्गमन उपरान्त सदस्यों एवं सम्बन्धित कार्यालयों के अधिकृत कार्मिकों को ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करा ली गयी है। ऑनलाइन सुविधा परीक्षण के लिए तीन माह की अवधि के लिए उपलब्ध करायी जा रही है। ऑनलाइन सुविधा परिचालकीय एवं सूचना की शुद्धता की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए, अग्रेतर अवधि के लिए बढ़ाया जाएगा। CPF लेखापर्ची एवं अन्य समेकित सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्धता हेतु निम्नवत बिन्दुवार परिचालन सम्बन्धि कार्यवाही की जानी है:—

1. CPF ट्रस्ट की वेबसाइट www.uppst.org के CPF सेक्शन में जा कर CPF Slip Option को Click करके देखा जा सकता है। कार्मिक को ID बनाने के लिए New User पर जा कर अपना CPF A/c no., Mobile no., Email ID तथा Password डालकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त CPF A/c no.एवं Password प्रयोग करके लॉगइन कर लेखापर्ची देखी जा सकती है एवं अनन्तिम रूप से लेखापर्ची का प्रिन्टआउट लिया जा सकता है।
2. इसी प्रकार खण्ड, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय एवं कम्पनी स्तर पर अपने Unit Code, Zone Code Company code, Mobile no., Email ID तथा Password डालकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन के उपरान्त Unit Code एवं Zone Code एवं Password प्रयोग करके लॉगइन करने के बाद पिछले पाँच वर्षों की लेखापर्ची एवं प्रूफशीट देखी जा सकती है एवं आवश्यकता अनुसार प्रिन्टआउट लिया जा सकता है। वेबसाइट के परिचालन में कठिनाई होने पर उपसचिव एवं अधिशासी अभियंता (कम्प्यूटर) से सम्पर्क किया जा सकता है।
3. आहरण एवं वितरण अधिकारियों / क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र / इकाई से सम्बंधित कार्मिको के वेतन से अंशदायी भविष्य निधि मद में की गई कटौती, लिये गये अग्रिम, एरियर आदि से संबंधित प्रेषित संकलित सूची के आधार पर लेखापर्ची तैयार की गई हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध प्रूफशीट एवं लेखापर्ची की शुद्धता की जाँच अपने स्तर पर भी कर लें। जाँच में अग्रिम, एरियर आदि से संबंधित कोई भी त्रुटि / कमी के संबंध में आवश्यक साक्ष्य / विवरण सहित ट्रस्ट को एक माह में अवगत कराया जाएगा। लेखापर्ची में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर कार्मिक द्वारा संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जाएगा, जिसकी जाँच के उपरान्त आवश्यक विवरण / साक्ष्य के साथ ट्रस्ट को प्रेषित किया जाएगा। लेखापर्ची / प्रूफशीट से संतुष्ट होने पर आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा लेखापर्ची अनन्तिम रूप से निर्गत की जाएगी। अन्तिम रूप से लेखापची ट्रस्ट स्तर से हस्ताक्षर कर निर्गत की जाएगी। लेखापर्ची में किसी भी प्रकार की विसंगति संज्ञान मे आने पर आवश्यक संशोधन ट्रस्ट स्तर से किया जा सकेगा।

4. वर्तमान में CPF लेखापर्ची एवं अन्य समेकित सूचना गत 5 वर्षों से सम्बन्धित देखने की ऑनलाइन सुविधा का प्राविधान किया गया है, जबकि इकाईयों/क्षेत्रों द्वारा प्रेषित संकलित विवरण की जाँच के उपरान्त ट्रस्ट द्वारा निर्गत लेखापर्ची/प्रूफशीट देखी जा सकेगी। अतः लेखापर्ची उपलब्ध न होने पर सम्बन्धित इकाई के माध्यम से ट्रस्ट को अवगत करायें।
5. संज्ञान में लाया गया है कि संकलित जमा एवं नाम अनुसूचियाँ एवं संबंधित मासिक लेखा बुकिंग लेखा कार्यालय के माध्यम से प्रेषित न किये जाने तथा त्रुटिपूर्ण प्रेषित किये जाने के कारण ट्रस्ट स्तर से वर्ष 2014–15, 2015–16 में बार–बार पत्र व्यवहार के बाद भी लेखापर्ची निर्गमन में वाँछित प्रगति नही हो पा रही है। अतएव सम्बन्धित समस्त क्षेत्रीय लेखा कार्यालय स्तर से इकाईवार समीक्षा कर लंबित संकलित जमा एवं नाम CPF अनुसूचियां, वर्षवार सी0पी0एफ कार्मिक/नियोक्ता अंशदान एवं अग्रिम सम्बन्धी समेकित मासिक लेखा बुकिंग अलग से प्राथमिकता पर प्रेषित करते हुए वाँछित प्रगति प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस सम्बंध में समय–समय पर ट्रस्ट के उच्च प्रबंधन द्वारा भी अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है। कार्मिकों द्वारा लेखापर्ची के संबन्ध में प्रत्यावेदन मात्र सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से ही ट्रस्ट को प्रेषित किया जाएगा।

उपरोक्त वेबसाइट के सम्बन्ध मे क्षेत्र/निगम स्तर से बहुमूल्य सुझावों से अवगत कराने का कष्ट करें।

/

(सुधांशु द्विवेदी)
निदेशक (वित्त)एवं ट्रस्टी

पत्र सं0: 245 /सी0पी0एफ0ट्रस्ट/ले0प0/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
3. निदेशक (वित्त) एवम् ट्रस्टी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
4. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
5. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
7. मुख्य महाप्रबन्धक/ महाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
8. उपमहाप्रबन्धक(वित्त एवं लेखा)/उपमुख्य लेखाधिकारी(वितरण/सा0प्र0/पारेषण) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
9. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड/ उ0प्र0पा0ट्राका0लि0, शक्ति भवन लखनऊ एवं समस्त डिस्काम लखनऊ, आगरा, मेरठ, वाराणसी एवं केस्को।
10. अधिशासी अभियन्ता एवं उपसचिव, सी0पी0एफ0 ट्रस्ट शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. समस्त लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, सी0पी0एफ0 ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(पी0के0गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वि0 एवं ले0)
एवं सचिव (ट्रस्ट)